न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 87/2018

निर्णय दिनांक– 24.8.2018

मधुबाला जैन पुत्री बद्रीलाल जैन जाति महाजन निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थी

तहसीलदार उनियारा प्रतिपक्षी न0 1

निर्णय

प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीयां के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 11 ख0न0 52 रकबा 1.62, ख0न0 142 रकबा 0.59 कुल किता 2 कुल रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम चक करवाडियां प्रथम तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है, जिसमे प्रार्थीया का 1/21 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीया का अपने हिस्से पर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम मधुबाला पुत्री बद्री है जो कि प्रार्थीया के मस्त दस्तावेजात जिजनमे पेन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अंकित है। परन्तु घर वाले प्यार से गुड़डी के नामसे पुकारने के कारण राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गुड़डी पुत्री बद्री दर्ज हो गया है। जिससे प्रार्थीया अपने हिस्से पर केसीसी बनवाने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य कई प्रकार से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी प्रार्थीया का नाम गुड़डी पुत्री बद्री के स्थान पर मधुबाला पुत्री बद्री दुरूस्त फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.7.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने पर राजहित प्रभावित नही होता है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2073 वाके ग्राम चक करवाडिया प्रथम खाता संख्या 11 ख0न0 52 रकबा 1.62, ख0न0 142 रकबा 0.59 कुल किता 2 कुल रकबा 2.21 है0 हि0 1/21 है0 गुड्डी पुत्री बद्री की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आयकर विभाग पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भरत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र व आधार कार्ड मे प्रार्थीया का नाम मधुबाला दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 6.7.18 के अनुसार गुड्डी पुत्री बद्री जाति महाजन की जन्म भूमि ग्राम रोशनपुरा है। इसे दो नाम से जाना जाता है। गुड्डी उर्फ मधुबाला व हाल निवासी कोटा मे रहते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गुड्डी पुत्री बद्री व मधुबाला पुत्री बद्री दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। नायब तहसीलदार ने अपने जवाब मे प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही की है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर न्यायालय प्रार्थीयां के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है। कि वे चक करवाडिया प्रथम खाता संख्या 11 ख0न0 52 रकबा 1.62, ख0न0 142 रकबा 0.59 कुल किता 2 कुल रकबा 2.21 है0 हि0 1/21 है0 मे दर्ज गुड्डी पुत्री बद्री के स्थान पर मधुबाला पुत्री बद्री अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner